



-:प्रेस नोट:-

दिनांक-11.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तों को अर्थदण्ड के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 103A/2004 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त 1. राम लखन पुत्र चुन्ना मोर्या 2. बिन्दा प्रसाद पुत्र चुन्ना 3. अवधेश पुत्र चुन्ना निवासीगण ग्राम फफूंदी थाना बबेरु जनपद बांदा जनपद बांदा को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 189/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राजू पुत्र अमर निवासी साडासानी थाना कमासिन जनपद बांदा को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 128/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रामबाबू पुत्र गया प्रजापति निवासी मझीवा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
4. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 52/05 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त 1. राकेश, 2. पल्ला 3. करन पुत्रगण ननकाबन निवासीगण ग्राम औदहा थाना मरका जनपद बांदा को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।